PAPERS LAID ON THE TABLE

THIRTEENTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE (1954-55)

DIWAN CHAM AN LALL (Punjab): Sir, I have the honour to lay on the Table a copy of the Thirteenth Report of the Public Accounts Committee (1954-55) on the Appropriation Accounts (Posts and Telegraphs) and (Railways), 1951-52 and 1952-53, Vol. I Report. *[Placed in Library. See No.* S-287/55.]

MINISTRY OF LABOUR NOTIFICATIONS PUBLISHING (I) AMENDMENTS TO THE MYSORE GOLD MINES REGULATIONS, 1953, AND (ii) THE MINES RULES, 1955.

REVISED BUDGET ESTIMATES FOR 1954-55 AND BUDGET ESTIMATES FOR 1955-56 OF EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION.

THE DEPUTY MINISTER FOR LABOUR (SHRI A BID ALI) : Sir, I lay on the Table a copy of each of the following Notifications under sub-section (7) of section 59 of the Mines Act, 1952: —

(i) Ministry of Labour Notification S.R.O. No. 525, dated the 28th February, 1955, publishing certain amendments to the Mysore Gold Mines Regulations, 1953. [Placed *in Library. See No.* S-284/55.]

(ii) Ministry of Labour Notification S.R.O. No. 1421. dated the 2nd July, 1955, publishing the Mines Rules, 1955. I *Placed in Library. See No.* S-285/55.]

Sir. I also lay on the Table, under section 36 of the Employees' State Insurance Act, 1948, a copy of the Revised Budget Estimates for the year 1954-55 and the Budget Estimates for the year 1955-56 of the Employees' State Insurance Corporation. *[Placed in Library. See No.* S-289-55.]

THE ABDUCTED PERSONS (RECOVERY AND RESTORATION) CONTINUANCE BILL, 1955—*continued*

श्रीमती सावित्री देवी निगम : (उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, कल एबडक्टेड परसंस (रिकवरी ऐण्ड रेस्टोरेशन) कंटिनुएंस बिल का समर्थन करते हुये मैं यह कह रही थी कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है और इस पर हम लोगों को बड़ी सावधानी से विचार करना चाहिये । जहां यह बात सच है कि हमें सेंटीमेंटल ग्राउण्ड्स पर कोई निर्णय नहीं देना चाहिये वहां यह बात भी सच है कि हमें प्रिजुडिसेज़ के आधार पर या रयूमर्स के आधार पर कोई ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिये कि यह विभाग बिल्कुल बेकार या निकम्मा है । ऐसे मामलों में हमें शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण रख कर ही विचार करना चाहिये । यह मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मानवीय दृष्टिकोण की संज्ञा कई लोग इसको भी दे सकते हैं कि रिकवर्ड स्त्रियों के मामले में उनके ऊपर होने वाले जुल्मों की कहानियां बिना सुने हुये, उन मांओं से बिना मिले हुये जिनके कि बच्चे या बच्चियां दूसरी ओर रह गई हैं या और घर के, परिवार के लोग दूसरी ओर रह गये हैं, हम यों ही बैठे बैठे अपने आप सिफ़ारिश कर बैठें कि यह विभाग बन्द कर दिया जाये । मेरी समझ में यह मानवीय दृष्टिकोण नहीं है । जब कभी ऐसी समस्याओं पर हम विचार करें तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम यह महसूस करें कि यदि हम स्वयं सफरर होते, यदि हम स्वयं आज इस स्थिति में होते जिसमें कि अभागी स्त्रियां हैं तो हमारी क्या स्थिति होती ? यदि किसी स्त्री का कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई भी दूसरी ओर दूसरे देश में है जिसकी उसको कोई खबर नहीं मिलती तो क्या कोई भी स्त्री यह इमैजिन कर सकती है कि वह कभी इस विभाग को बन्द करने की सिफ़ारिश कर सकेगी । मैं तो सोचती हूं